पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमैन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2004 ई0 (अग्रहायण 20, 1926 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून–248001

अधिसूचना

दिनांक 14 मई, 2004

F-9(4)/RG/UERC/2004/255--विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 42 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का निर्वाह करते हुए तथा इन शक्तियों द्वारा सक्षम हो कर उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन उपरान्त उत्तराचंल राज्य में ओम्बड्समैन की नियुक्ति एवं उनके कार्य क्षेत्र हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एंव प्रारंभ :

(1) ये विनियम, उत्तराचंल विद्युत नियामक आयोग (ओम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) विनियम, 2004 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम उत्तरांचल राज्य में लागू होंगे।[1]

(3) ये विनियम, गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

अध्याय–2

परिभाषाएं एवं निर्वचन

2. परिभाषाएं एवं निर्वचन :

(1) इन विनियमों में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होने पर :–

[1]यह विनियम दिनांक 22.05.2004 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

(a) "अधिनियम" का अर्थ है, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(b) "नियत तिथि" का अर्थ है, 10 जून, 2003;

(c) "अधिनिर्णय" का अर्थ है, विनियमावली के अनुसार ओम्बड्समैन द्वारा पारित अधिनिर्णय;

(d) "आयोग" का अर्थ है, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग;

(e) "शिकायतकर्ता में यह समाहित होंगे:–

(i) एक उपभोक्ता, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (15) में परिभाषित है;

(ii) नये संयोजनों हेतु आवेदक;

(iii) ऐसा उपभोक्ता, जिसका विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया हो;

(iv) समिति अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पंजीकृत एकाधिक उपभोक्ता संघ; अथवा

(v) उपभोक्ताओं के ऐसे अपंजीकृत संघ जहाँ उपभोक्ताओं के समान हित हों।

(f) "शिकायत" का अर्थ है, मंच के समक्ष शिकायतों के निवारण हेतु प्रस्तुत पत्र या आवेदन, जो वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रदत्त सेवाओं, नये संयोजनों तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित हों, तथा जहां वितरण अनुज्ञापी ने आयोग द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक प्रभार किया हो या विद्युत लाईन अथवा विद्युत सयंत्र प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत व्यय से अधिक वसूली की हो।

अधिनियम के सीमा क्षेत्र में आने वाले निम्नलिखित में से कोई प्रावधान इन विनियमों के अन्तर्गत शिकायत नहीं माने जायेगें :–

(i) अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत उपबन्धित विद्युत का अनाधिकृत उपयोग;

(ii) अधिनियम की धारा 135 से 139 में उपबन्धित अपराध एवं दण्ड;

(iii) अधिनियम की धारा 161 में उपबन्धित, विद्युत आपूर्ति, वितरण या उपयोग में दुर्घटना; तथा

(iv) ऐसे अवशेषों की वसूली जहां बिल की राशि पर कोई विवाद न हों।

(g) "उपभोक्ता" का अर्थ है, ऐसा उपभोक्ता जैसा कि अधिनियम की धारा 2(15) में परिभाषित है तथा इसमें निम्नलिखित समाहित है :–

(i) कोई व्यक्ति जिस का विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया है,

(ii) विद्युत आपूर्ति हेतु नये संयोजन के लिए आवेदक; तथा

(iii) कोई व्यक्ति, जिसे क्षति हुई है या जिसकी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई है और जिसकी क्षति या हानि का दोष अनुज्ञापी या विद्युत सेवा, जो उसके द्वारा की गई है, उन पर है।

(h) "वितरण अनुज्ञापी" का अर्थ है, सम्बन्धित क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण व्यवस्था के संचालन व अनुरक्षण के लिए अधिकृत अनुज्ञापी।

(i) "विद्युत सेवा" में उपभोक्ताओं एवं परिचारक उप सेवाओं को आपूर्ति सेवा, बिलिंग, मीटरिंग व विद्युत ऊर्जा का अनुरक्षण तथा प्रचलित कानून के अन्तर्गत अथवा उसके अनुज्ञापन के अनुसार, जो अन्य सेवा जो अनुज्ञापी से अपेक्षित हैं, वे सभी समाहित हैं।

(j) "मंच" का अर्थ है, आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार तथा अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) की शर्तों के अनुरूप अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु गठित मंच।

(k) "शिकायत" का अर्थ है, उपभोक्ता की ऐसी शिकायत, जो कि अनुज्ञापी द्वारा दर्ज करने या निवारण में असफल रहने के कारण उत्पन्न हुई हो तथा इसमें उपभोक्ता एवं अनुज्ञापी के मध्य कोई भी विवाद शामिल होगा, जो अनुज्ञापी द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में या उसके अनुसरण पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित हों;

(l) "अनुज्ञापी" का अर्थ है, वितरण अनुज्ञापी;

(m) "ओम्बड्समैन" का अर्थ है, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (6) के अनुसार इन विनियमों के विनियम 3 के अन्तर्गत आयोग द्वारा अभिहित या नियुक्त प्राधिकारी;

(n) "विनियमों" का अर्थ है ये विनियम;

(o) "प्रतिवेदन" का अर्थ है, शिकायतकर्ता या उसकी ओर से ओम्बड्समैन के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन, जो मंच के आदेश (खारिज करने के आदेश सहित) या निर्धारित समय सीमा तथा दिशा निर्देशों के अनुसार मंच द्वारा निवारण न होने से व्यथित हैं।

बशर्ते कि प्रतिवेदन, उसी विषय वस्तु से सम्बन्धित न हो, जिसकी कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण, मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लम्बित हो या कोई डिक्री या जिस में कोई आदेश या अन्तिम आदेश, किसी सक्षम न्यायालय, अधिकरण, मध्यस्थ या प्राधिकारी द्वारा पारित किया जा चुका हो।

(p) वे शब्द तथा उक्ति, जो यहां प्रयोग किये गये हैं, किन्तु जिनकी व्याख्या यहां नहीं की गई है, किन्तु अधिनियम में की गई है, उनका वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय–3

ओम्बड्समैन की नियुक्ति, कार्यकाल तथा अधिकारिता

3. ओम्बड्समैन की नियुक्ति :

(1) इन विनियमों के अन्तर्गत तथा अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (7) के अन्तर्गत सौंपे गये कार्यों को निष्पादित करने हेतु, आयोग समय–समय पर एकाधिक व्यक्तियों को, जैसा कि वह उचित समझे, अभिहित या नियुक्त करेगा, जो कि ओम्बड्समैन के नाम से जाने जायेंगे।

(2) आयोग अभिहित या नियुक्त कर सकता है–

(i) प्रत्येक अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र के लिए एक पृथक ओम्बड्समैन; अथवा

(ii) दो या अधिक अनुज्ञापियों के आपूर्ति क्षेत्रों के लिये एक ओम्बड्समैन; अथवा

(iii) किसी अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र के लिए एक से अधिक ओम्बड्समैन।

(3) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत ओम्बड्समैन को जन सेवक माना जायेगा।

(4) ओम्बड्समैन की क्षेत्रीय अधिकारिता, आयोग के निर्णयानुसार, सम्पूर्ण उत्तरांचल या उसके किसी भाग तक विस्तारित होगी।

बशर्ते कि जहां आयोग, उपरोक्त उप विनियम (2) के अन्तर्गत एक से अधिक ओम्बड्समैन आदेशानुसार अभिहित या नियुक्त करता है, उस आदेश में आयोग प्रत्येक ओम्बड्समैन की अधिकारिता परिभाषित करेगा।

(5) ओम्बड्समैन एक सामर्थ्यवान, पूर्ण सत्यनिष्ठ वृत्ति वाला व्यक्ति होगा, वह या तो एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, या ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कम से कम किसी सदस्य के रूप में सम्पूर्ण कार्यकाल किसी नियामक निकाय में कार्य किया हो या अवकाश प्राप्त सिविल सर्वेन्ट, जो सरकार में सचिव स्तर से नीचे का न हो या ऐसा व्यक्ति, जिसने कम से कम तीन (3) वर्ष किसी विद्युत युटिलिटी में मुख्य कार्यकारी या कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया हो।

(6) व्यक्ति(यों) की ओम्बड्समैन के रूप में अभिहिति या नियुक्ति अधिकतम तीन (3) वर्षों के लिए होगी। साथ ही आयोग ओम्बड्समैन का कार्यकाल उस अवधि तक बढ़ा सकता है, जितनी अवधि आयोग निश्चित करे।

(7) ओम्बड्समैन को देय पारिश्रमिक तथा अन्य भत्ते आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे।

(8) ओम्बड्समैन का(के) कार्यालय ऐसे स्थान(नों) पर स्थित होंगे, जो कि आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। प्रतिवेदनों को शीघ्रता से निपटाने हेतु ओम्बड्समैन अपने क्षेत्र के अधीन ऐसे स्थानों पर बैठक कर सकता है, जिसे वह उचित एंव आवश्यक समझे।

(9) ओम्बड्समैन को कार्य करने में सुविधा हेतु समुचित कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उन कर्मचारियों का व्यय आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।

(10) ओम्बड्समैन कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस दे कर पद त्याग कर सकता है। यदि आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि लोकहित में या ओम्बड्समैन की अक्षमता के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो वह इन कारणों को अभिलिखित कर तथा एक माह का नोटिस या नोटिस के स्थान पर एक माह का समेकित पारिश्रमिक दे कर किसी ओम्बड्समैन को उसके कार्य निर्वाह से हटा सकता है।

अध्याय–4

ओम्बड्समैन की शक्तियां एवं कार्य

4. ओम्बड्समैन की शक्तियां एवं कार्य :

(1) ओम्बड्समैन के निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य होंगे :–

(a) मंच द्वारा किसी शिकायत के निवारण न होने पर या मंच के आदेश के विरूद्ध प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा उस पर विचार करना तथा अधिनियम के अधीन नियमों एवं विनियमों के अनुसार समुचित आदेश पारित करना।

(b) अधीक्षण की सामान्य शक्तियों का प्रयोग तथा अपने कार्यालय का नियंत्रण तथा उसके कार्य निर्वाह हेतु उत्तरदायी होना।

(c) ओम्बड्समैन को देय भुगतान सहित कार्यालय की ओर से व्यय करना, यद्यपि इन शक्तियों के प्रयोग के लिये ओम्बड्समैन इस कार्यालय हेतु एक वार्षिक बजट बनायेगा तथा आयोग की स्वीकृति के पश्चात् वह व्यय की इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, किन्तु यह स्वीकृत बजट के अधीन होनी चाहिए। ओम्बड्समैन द्वारा इस प्रकार किये गये व्यय, आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित रूप से पूरे किये जायेंगे।

(d) आयोग द्वारा समय–समय पर स्वीकृत रूप के अनुसार ओम्बड्समैन द्वारा किये गये व्यय तथा प्राप्तियों का उचित लेखा रखना।

(e) ओम्बड्समैन द्वारा किये गये व्यय तथ प्राप्तियों का वार्षिक लेखा परीक्षण करवाना तथा उसका विवरण एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, वित्त वर्ष की समाप्ति के तीन (3) माह के भीतर आयोग या उसके द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।

(f) ऐसे अन्य कार्य, जो आयोग द्वारा सौपें जायें।

अध्याय–5

ओम्बड्समैन द्वारा शिकायत निवारण की प्रक्रियाएं

5. ओम्बड्समैन को प्रतिवेदन :

(1) कोई शिकायतकर्ता, जो मंच के आदेश से या मंच द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के भीतर शिकायत का निवारण न होने से व्यथित है, मंच के निर्णय की प्राप्ति से तीस दिन या जिस समयावधि में मंच द्वारा निर्णय लेना अपेक्षित था उसकी समाप्ति की तिथि से तीस दिन, दोनों में से जो पहले हो, स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ओम्बड्समैन के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

तथापि, ओम्बड्समैन यदि संतुष्ट हो, कि समय से प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने का कारण पर्याप्त है तो वह नियत अवधि 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है।

(2) प्रतिवेदन लिखित रूप से होना चाहिए, जो शिकायतकर्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित हो, उसे व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा/कूरियर अथवा फैक्स द्वारा भेजा जा सकता है जिसमें शिकायतकर्ता का स्पष्ट नाम व पता, शिकायत का विवरण के साथ किसी अन्य प्राधिकारी या न्यायालय के सम्मुख की गई शिकायत का दस्तावेजों के साथ विवरण, यदि कोई है, (संलग्न हों) जिन्हें शिकायतकर्ता विश्वसनीय जरूरी समझता है तथा राहत जो वह ओम्बड्समैन से चाहता है।

(3) ओम्बड्समैन का कार्यालय प्रतिवेदन की प्राप्ति से तीन (3) कार्य दिवस के भीतर शिकायत कर्ता को प्रतिवेदन प्राप्ति की अभिस्वीकृति देगा।

(4) व्यावहारिक रूप से जितना शीघ्र हो, किन्तु प्रतिवेदन प्राप्ति की तिथि से अधिकतम एक सप्ताह के भीतर ओम्बड्समैन, सम्बन्धित अनुज्ञापी को प्रतिवेदन की प्रति के साथ प्रतिवेदन प्राप्ति का नोटिस जारी करेगा।

(5) अधिनियम एवं इन विनियमों के अनुरूप, कोई प्रतिवेदन विचारार्थ उपयुक्त है या नहीं, इस विषय में शिकायत–कर्ता एवं अनुज्ञापी पर ओम्बड्समैन का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।

(6) ऐसे प्रतिवेदनों पर विचार एवं सुनवाई के लिए विस्तृत प्रक्रिया ओम्बड्समैन द्वारा तैयार की जायेगी तथा आयोग द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

6. अधिनिर्णय :

(1) प्रतिवेदन पर विचार कर तथा प्रतिवेदन के पक्षों की सुनवाई के पश्चात् ओम्बड्समैन, विस्तृत तर्कों के साथ अधिनिर्णय दे कर कारण बताते हुए आदेश पारित करेगा, जैसा कि परिस्थिति तथा तथ्यों के अनुसार उस मामले में वह उचित संमझता हो। अधिनिर्णय देते समय ओम्बड्समैन, पक्षों द्वारा उसके सम्मुख प्रस्तुत साक्ष्य, प्रचलित कानून के सिद्धान्त एवं आयोग द्वारा समय–समय पर जारी नीति निर्देश और अनुदेश मार्गदर्शन एवं विनियम तथा अन्य ऐसे तथ्य जो उसकी राय में न्याय के लिए आवश्यक हों, से मार्ग दर्शन लेगा।

(2) ओम्बड्समैन द्वारा पारित अधिनिर्णय निर्दिष्ट करेगा:–

(a) मामले की परिस्थितियां तथा तथ्यों का संक्षेप;

(b) वाद विषय वार निर्णय;

(c) अधिनिर्णय पारित करने के कारण; तथा

(d) अनुज्ञापी, शिकायतकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश, यदि कोई हों।

(3) जहां तक संभव हो, ओम्बड्समैन, शिकायत प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर अधिनिर्णय पारित करेगा। इस अवधि से देरी होने पर ओम्बड्समैन, इस देरी के कारण का उल्लेख अपने अधिनिर्णय में करेगा।

(4) अपने अधिनिर्णय में निहित निर्देशों के अनुसार अनुपालन हेतु शिकायतकर्ता, शिकायत में उल्लिखित अनुज्ञापी तथा कोई अन्य व्यक्ति जिसे ओम्बड्समैन उचित समझे उसे अधिनिर्णय की एक प्रति भेजी जायेगी।

7. सूचना मांगने की शक्तियाँ :

(1) ओम्बड्समैन के पास यह शक्ति होगी कि वह विषयक की परिस्थितियों तथा तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति की उपस्थिति को साक्ष्य देने हेतु या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सम्मन कर सकता है, जो कि ओम्बड्समैन के समक्ष शिकायत की विषय वस्तु हेतु उपयोगी या सुंसगत हो।

(2) अपने कर्तव्यों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से, ओम्बड्समैन, शिकायत में नामित अनुज्ञापी से 15 दिन के अन्दर ऐसे दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जो कि शिकायत की विषयक वस्तु से सम्बन्धित है तथा अनुज्ञापी से कब्जे में अभिकथित है। साथ ही, बिना किसी पर्याप्त कारण के अध्यपेक्षा के अनुपालन में अनुज्ञापी द्वारा असफल रहने की दशा में ओम्बड्समैन ऐसा कोई अनुमान लगा सकता है जैसा कि वह उचित समझे तथा उस आधार पर विषय का निपटारा करने हेतु कार्यवाही कर सकता है।

(3) ओम्बड्समैन, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के दौरान उसके स्वामित्व में या जानकारी में आये दस्तावेज या किसी सूचना की गुप्तता को बनाये रखेगा तथा ऐसी सूचना या दस्तावेज बिना ऐसी सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की सहमति से किसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं करेगा। सिवाय,

बशर्ते कि इन उप विनियमों में कुछ भी ओम्बड्समैन को स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों तथा कार्यवाही के समुचित अनुपालन हेतु उसके विचार से युक्तियुक्त अपेक्षित सीमा तक एक पक्ष द्वारा किसी शिकायत में प्रस्तुत दस्तावेज या सूचना को दूसरे पक्ष के समक्ष प्रकट करने से नहीं रोकेगा।

अध्याय–6

प्रकीर्ण

8. अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रमाणित प्रतिलिपियों की आपूर्ति :

(1) शिकायतकर्ता, अनुज्ञापी अथवा कोई अन्य प्रभावित व्यक्ति आदेशों एवं उस की पुष्टि में कारणों, निर्देशों, निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) ओम्बड्समैन के निर्देशानुसार अन्य शर्तों के अनुपालन व समुचित भुगतान के पश्चात् कोई व्यक्ति/उपभोक्ता, ओम्बड्समैन के आदेशों की प्रतिलिपि प्राप्त करने का हकदार होगा।

9. अनुज्ञापी का इन विनियमों को प्रचारित करने का कर्तव्य :

(1) अनुज्ञापी यह सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों तथा ओम्बड्समैन का नाम व पता जिसके समक्ष व्यथित पक्ष द्वारा शिकायत की जानी है, का उसके सभी कार्यालय/परिसरों में इस प्रकार से तथा ऐसे स्थान पर प्रदर्शन किया जाये कि सम्बन्धित कार्यालय/परिसरों में आने वाली आम जनता की सूचना में आ सकें।

(2) अनुज्ञापी यह सुनिश्चित करेगा कि, ऊर्जा निगम के अभिहित अधिकारी के पास विनियम की एक प्रति परिशीलन हेतु कार्यालय परिसर पर उपलब्ध करायी जाये, ताकि यदि कोई व्यक्ति यदि परिशीलन करना चाहे तो वह ऐसा कर सके तथा इस विनियम की उपलब्धता व उस अभिहित अधिकारी की सार्वजनिक सूचना, उपर्युक्त उपविनियम (1) के अनुसार सूचना के साथ प्रदर्शित की जाये।

10. ओम्बड्समैन की रिपोर्ट :

(1) ओम्बड्समैन, तिमाही के अन्त से 15 दिन के अन्दर, प्राप्त शिकायतों, निवारण की गई शिकायतों तथा लम्बित शिकायतों की संख्या की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक वर्ष 31 मई तक ओम्बड्समैन आयोग की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें पिछले वित्त वर्ष के दौरान उसके कार्यालय की गतिविधियों का सामान्य अवलोकन समाहित हो तथा जो सूचना आयोग निर्देशित करे वह भी प्रदान करेगा।

11. व्यावृत्ति :

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) सहित तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार या विशेषाधिकार पर किसी वस्तु का प्रभाव नहीं होगा, जो इन विनियमों में निहित है।

(2) आयोग को न्याय हेतु आवश्यक आदेश बनाने के लिए उसकी शक्तियों को ये विनियम किसी भी प्रकार सीमित नहीं करेंगे।

12. कठिनाईयों को दूर करने की शक्तियां :

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है, तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ओम्बड्समैन, अनुज्ञापी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही के निर्देश दे सकता है, जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक व समीचीन लगती हो तथा जो अधिनियम से असंगत न हो।

13. संशोधन का अधिकार :

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में आयोग, किसी भी समय, परिवर्तन, उपान्तरण, काट या संशोधन कर सकता है।